भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 987

03 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

987. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
श्री भागीरथ चौधरी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री एन. देवेन्द्रप्पा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएएम योजना के तहत स्वीकृत और जारी की गई कुल राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है एवं राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए इसका जिलेवार विवरण क्या है;

(ग) आज की तारीख तक आंध्र प्रदेश को आपूर्ति की गई प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किटों की कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) एनएएम के तहत राजस्थान में पूरे किए गए और चल रहे कार्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अजमेर जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत उपयोग की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन की मुख्य विशेषताएं **संलग्नक-I** में दी गई हैं।

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान एनएएम योजना के तहत राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित/स्वीकृत तथा जारी निधियों का ब्यौरा **संलग्नक-II** पर दिया गया है। तथापि, एनएएम के तहत, जिला-वार कोई भी सहायता अनुदान अनुमोदित/स्वीकृत एवं जारी नहीं किया गया है।

(ग): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य को प्रतिरक्षावर्धक बाल रक्षा किटों की आपूर्ति नहीं की है।

(घ) और (ङ): राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने कुल जारी सहायता अनुदान 19862.31 लाख रूपये की तुलना में 10897.81 लाख रूपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रमुख स्वीकृत कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक-III** पर दी गई है।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता है:-

(i) आयुष्मान भारत के तहत आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) मौजूदा एकमात्र सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा/नए एकमात्र सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त औषधालयों के उन्नयन/स्थापना

(v) 10 बिस्तरों/30 बिस्तरों/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम:-

- क) मस्क्यूलोस्केलेटल डिसोआर्डर की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- ख) कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और आघात निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ आयुष का एकीकरण
- ग) सुप्रजा: आयुष मातृ एवं नवजात उपचार
- घ) वयो मित्र: आयुष जरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
- ङ) आयुर्विद्या: 75000 स्कूलों में आयुष पद्धतियों के जरिए स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा
- च) आयुष मोबाईल मेडिकल यूनिट
- छ) कारुण्य: आयुष उपशामक सेवाएं
- ज) लिम्फेटिक फाइलेरियसिस (लिम्फोडिमा) का रुग्णता प्रबंधन और निर्बलता निवारण (एसएमडीपी) हेतु आयुष पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(viii) निम्नलिखित कार्यकलापों के प्रावधान के साथ नम्य घटक:-

- क) योग वेलनेस केन्द्र
- ख) टेली-मेडिसिन
- ग) आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा
- घ) परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति
- ङ) आईईसी कार्यकलाप
- च) शैक्षिक संस्थान और आयुष अस्पतालों/औषधालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ, चिकित्सा अधिकारियों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन।
- छ) संक्रामक/महामारी के प्रकोप सहित प्राकृतिक आपदाओं के उपशमन और पुनरूद्धार कार्यकलापों को पूरा करना। यह कोविड-19 महामारी के मौजूदा परिदृश्य में भी प्रासंगिक है।
- ज) आयुष के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन - बहु आयुष कार्यकलापों को शामिल किया जा रहा है और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावी रूप से समुदायों तक पहुंच बनाकर विभिन्न आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा सकते हैं। इसलिए, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में

आयुष के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को जरूरत के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य स्थानीय मापदंडों के अनुसार प्रोत्साहन दे सकते हैं।

झ) जिन आयुष औषधालयों में पदों का सृजन किया गया है लेकिन वे प्रशासनिक कारणों से खाली पड़े हैं वहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 01 आयुष चिकित्सा अधिकारी और 01 फार्मासिस्ट को योजना अवधि तक की अधिकतम सीमा अथवा पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, जरूरत के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ञ) अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की ट्रैकिंग प्रणाली हेतु सहायता।

ट) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और आयुष पद्धति हेतु प्रायोगिक नवाचार के लिए कार्यकलापों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ठ) अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रत्यायन।

संलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएएम स्कीम के तहत अनुमोदित/स्वीकृत और जारी की गई निधियों की राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	अनुमोदित/स्वीकृत राशि	जारी राशि (केंद्रीय अंशदान)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	935.11	935.11
2.	**आंध्र प्रदेश**	**5943.67**	**3566.20**
3.	अरुणाचल प्रदेश	1788.11	1609.26
4.	असम	2985.33	2686.80
5.	बिहार	5296.39	3177.83
6.	चंडीगढ़	248.36	248.36
7.	छत्तीसगढ	6263.22	3757.93
8.	दादर और नगर हवेली एवं दमन व दीव	135.86	135.86
9.	दिल्ली	0.00	0.00
10.	गोवा	552.56	331.54
11.	गुजरात	7057.60	4234.56
12.	हरियाणा	10892.10	6535.26
13.	हिमाचल प्रदेश	4942.04	4447.84
14.	जम्मू और कश्मीर	5923.35	5331.02
15.	झारखंड	2537.19	1522.31
16.	कर्नाटक	11107.32	6664.39
17.	केरल	10793.27	6475.96
18.	लद्दाख	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	446.48	446.48
20.	मध्य प्रदेश	20750.18	12450.11
21.	महाराष्ट्र	7181.07	4308.64
22.	मणिपुर	3011.19	2710.02
23.	मिजोरम	1755.53	1579.98
24.	मेघालय	662.42	596.18
25.	नागालैंड	3473.71	3126.34
26.	ओडिशा	4192.45	2515.47
27.	पुदुचेरी	763.38	731.60
28.	पंजाब	2137.86	1282.71
29.	**राजस्थान**	**12143.62**	**7286.17**
30.	सिक्किम	1054.92	951.35
31.	तमिलनाडु	8228.00	4936.80
32.	तेलंगाना	2707.57	1624.54
33.	त्रिपुरा	1043.06	938.75
34.	उत्तर प्रदेश	50252.83	30151.70
35.	उत्तराखंड	3524.53	3172.08
36.	पश्चिम बंगाल	7315.84	4389.51
कुल		**208046.12**	**134858.67**

संलग्नक-III

50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना की स्थिति

(लाख रू में)

क्र.सं.	**अनुमोदन वर्ष**	**स्थान**	**राज्य अंश सहित अनुमोदित राशि**	**निर्मुक्त राशि**	**केंद्रीय अंशदान के प्रति राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय**
1	2016-17	भीलवाड़ा	450.00	270.00	267.846
2	2016-17	अजमेर	450.00	270.00	240.846
3	2016-17	चुरू	450.00	270.00	246.252
4	2016-17	बीकानेर	450.00	270.00	258.624
5	2018-19	जयपुर	436.00	261.60	184.65
6	2019-20	सीकर	450.00	270.00	0.204